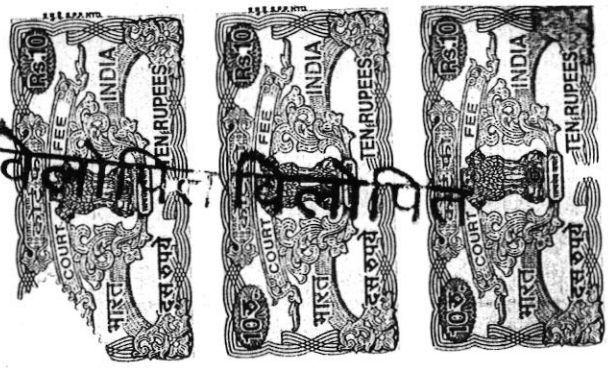

विज्ञापित विज्ञापित

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :- ।२०१७ पुनराविलोकन (रिव्यू) 47-I-17

सेवाराम पुत्र छोटेलाल, निवासी- ग्राम-कोषण टप्पा, सुरपुरा, तेहसील अटेर, जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

श्री एस० के० अग्रवाल द्वारा आज दि 3-1-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

12
3.1.17

---------- प्रार्थी

विरुद्ध

मूरादेवी विधवा पत्नी फूल सिंह यादव, निवासिन- ग्राम-कोषण तेहसील अटेर, जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश हाल निवासिन ग्राम-सायपुरा गुर्जर, तेहसील वाह जिला आगरा (उत्तरप्रदेश) ।

----- प्रतिप्रार्थी

पुनराविलोकन आवेदन-पत्र विरुद्ध आदेश माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश (पीठासीन अधिकारी माननीय श्री एम०के० सिंह सदस्य), दिनांकी ३-११-१६, अन्तर्गत धारा ५१ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० २३६२-दो।०१ निगरानी ।

श्रीमान जी,

पुनराविलोकन आवेदन-पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१. यहकि, इस माननीय न्यायालय की विवादित आज्ञा अभिलेख की प्रत्यक्षदर्शी भूल पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है ।

२. यह कि, विवादित आदेश के पद क्रमांक ५ में प्रतिप्रार्थिया को प्रारम्भिक न्यायालय में विधिवत सूचना न होने का उल्लेख किया गया है जबकि अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उसे विधिवत सूचना दी गई है यह भूल ऐसी भूल है जो अभिलेख देखने से स्पष्ट है ।

३. यह कि, विवादित आदेश के पद में अंकित अभिनिर्धारण वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते हैं । प्रकरण के तथ्य भिन्न होने से

क्रमशः:पे---२

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु–47–एक / 2017 जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
10.08.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण में दिनांक 10.10.18 पेशी नियत है, अतः प्रकरण आज ही समझौता हेतु प्रस्तुत किया जावे। 2–उभयपक्ष के अनुरोध पर प्रकरण आज प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष द्वारा सहमति पत्र (समझौता पत्र) प्रस्तुत किया गया है जिसमें उभयपक्ष के फोटो चस्पा हैं तथा सेवा राम पुत्र छोटेलाल यादव एवं श्रीमती भूरा देवी पत्नी स्व0 श्री फूफ सिंह यादव के शपथ पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रतियां भी प्रस्तुत किये गये हैं। 3–उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर बताया गया है कि उभयपक्ष के मध्य समझौता हो गया है जो प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः समझौता के आधार पर यह प्रकरण आगे चलाना नहीं चहाते है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	